प्रभाव से मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य प्रयोजना प्रबन्धक को नये 11, 33, 66, 132 के० वी० आदि विद्युत उप-संस्थानों पर, उनके चालू हो जाने पर, उनके परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु, केवल उप-संस्थान परिचालक के नये पदों के, स्वीकृत माप-दण्ड के अनुसार, सृजन का अधिकार सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त के अनुसार पदों के सृजन के तुरन्त बाद मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य प्रयोजना प्रबन्धक उप-संस्थान परिचालकों के सृजित पद के परिषद के अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करने के लिये एक प्रस्ताव विस्तृत विवरण व पूर्ण औचित्य सहित परिषद को प्रेषित करेंगे।

3. उक्त नव सृजित पदों को निम्न पदों जैसे फ्यूजमैन, लाईन कुली/मजदूर पैट्रोलमैन, कुशल श्रमिक/मजदूर, मेट आदि के पदों पर कार्यरत ऐसे कर्मचारियों, जो उप-संस्थान परिचालक के पद के लिये निर्धारित अपेक्षित योग्यताओं को पूर्ण करते हों, की प्रोन्नति करके भरा जायेगा। यदि उक्त उप-संस्थान परिचालक के पदों को प्रोन्नति द्वारा भरने हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार सीधी भर्ती की जा सकेगी।

Appointment of staff of banned categories would entail exemplary punishment

No. 2127-Karmik-9B/SEB-85 Dated : Aug 3, 1985

It has come to the notice of the Board that some field officers are still making appointments of certain category of staff although Board had imposed a blanket ban on such appointments for quite few years back vide B.O. No. 4840-NG-I/SEB-78-213A/65, Dated 19-9-1978. The Board have viewed this seriously and re-emphasize that any violation/breach of Board's orders banning appointments in particular categories of staff, there-by incurring liability and creating financial and administrative complcations would entail exemplary punishment.

You are, therefore, requested to please ensure that compliance of above Board order is made strictly.

सेवा काल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की परिषद सेवा में भर्ती की व्यवस्था

संख्या 212-जी०एम०/रा०वि०प०-3-15जी०एम०/74 दिनांक : जून 30, 1976

विद्युत (सम्पूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 79(सी) में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवा काल में मृत परिषदीय सेवाओं के आश्रितों की भर्ती को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित विशेष नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सेवा काल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1975

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवा काल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1975 कहलायेगी।

(2) यह 20 जून, 1974 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. परिभाषायें—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :—

(क) 'परिषदीय सेवक' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में सेवायोजित ऐसे परिषदीय सेवक से है जो :—

(1) ऐसे सेवायोजन में स्थायी था, या

(2) यद्यपि अस्थायी है तथापि ऐसे सेवायोजन में नियमित रूप से नियुक्त किया गया था या

(3) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है, तथापि ऐसे सेवायोजन में नियमित रिक्ति में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की है।

स्पष्टीकरण—नियमित रूप से नियुक्त का तात्पर्य, यथास्थिति, पद पर या सेवा में भर्ती के लिये अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किये जाने से है।

(ख) 'मृत परिषदीय सेवक' का तात्पर्य ऐसे परिषद सेवक से है जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाय।

(ग) 'कुटुम्ब' के अन्तर्गत मृत परिषदीय सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :—

(1) पत्नी या पति

(2) पुत्र

(3) अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां।

(घ) 'कार्यालय का प्रधान' का तात्पर्य उस कार्यालय के प्रधान से है जिस कार्यालय में मृत परिषदीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवारत था।

3. नियमावली का लागू किया जाना—यह नियमावली परिषद के अन्तर्गत जूनियर इन्जीनियर तथा उसके समकक्ष से नीचे के पदों पर ही लागू होगी।

4. इस नियमावली का अध्यारोही प्रभाव—इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों विनियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यह नियमावली तथा तदधीन जारी किया गया कोई आदेश प्रभावी होगा।

5. मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती—यदि इस नियमावली के

प्रारम्भ होनें के पश्चात् किसी परिषदीय सेवक की सेवा-काल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निगम या राज्य विद्युत परिषद के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर, भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, परिषदीय सेवा में जूनियर इन्जीनियर तथा उसके समकक्ष से नीचे के पदों पर सेवायोजन प्रदान किया जायेगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से भी परिषदीय सेवा के लिये अर्ह हो। ऐसी नौकरी अविलम्ब और यथाशक्य उसी इकाई में दी जानी चाहिये जिसमें मृत परिषदीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

6. सेवायोजन के लिये आवेदन पत्र की विषयवस्तु—इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र जिस पर नियुक्ति अभिलाषित है, उस पद से सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा, किन्तु वह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा, जहाँ मृत परिषदीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था। आवेदन-पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचना दी जायेगी :—

(क) मृत परिषदीय सेवक की मृत्यु का दिनांक, वह इकाई जहाँ और वह जिस पद पर अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था।

(ख) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम, उनकी आयु तथा अन्य ब्योरे विशेषतया उनके विवाह, सेवायोजन तथा आय सम्बन्धी ब्योरे,

(ग) कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्योरा, और

(घ) आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हतायें, यदि कोई हों।

7. प्रक्रिया जब कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य सेवायोजना चाहते हों—यदि मृत परिषदीय सेवक के कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हों तो कार्यालय का प्रधान सेवायोजित करने के लिये व्यक्ति की उपयुक्तता को विनिश्चित करेगा। समस्त कुटुम्ब विशेषतया उसके विधवा तथा अवयस्क सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जायेगा।

8. आयु तथा अन्य अपेक्षाओं में शिथिलता—

(1) इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यार्थी की आयु नियुक्ति के समय अठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।

(2) चयन के लिये प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षाओं से, यथालिखित परीक्षा या चयन समिति द्वारा साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जयेगा। किन्तु अभ्यार्थी पद विषयक प्रत्याशित कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम स्तर को बनाए रखेगा इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यार्थी का साक्षात्कार करने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी स्वाधीन होगा।

(3) इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति केवल किसी विद्यमान रिक्ति के प्रति की जायेगी।

9. सामान्य अर्हताओं के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान—किसी अभ्यार्थी को नियुक्ति करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि :—

(क) अभ्यार्थी का चरित्र ऐसा है कि वह परिषदीय सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

टिप्पणी :—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निगम या राज्य विद्युत परिषद द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं समझे जायेंगे।

(ख) वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है जिसके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो तथा इस बात के लिये अभ्यार्थी से उस मामले के लागू नियमों के अनुसार समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

(ग) पुरुष अभ्यार्थी की दशा में, उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित न हो और किसी महिला अभ्यार्थी की दशा में उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

10. राज्य सरकार अथवा परिषद इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एकमात्र निर्णायक होगी) दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जिसे वह उचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझें।

सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की परिषद सेवा में भर्ती सम्बन्धी नियमावली में संशोधन ।

संख्या १२३५-जी०ई० ।२।/रा०वि०प०-३।१७। , दिनांक अप्रैल १६, १९७८ जी०ई०।२।/१९७६

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवाओं के आश्रितों की भर्ती नियमावली १९७५, जो परिषदीय विज्ञप्ति संख्या २१२जी० एम०/रा०वि०प०-३।१५।जी०एम०/७४, दिनांक ३० जून, १९७६ द्वारा प्रकाशित हुई, के अनुच्छेद ३, ५, १० में निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं।

संशोधित स्तम्भ

३. नियमावली का लागू किया जाना—यह नियमावली परिषद के अन्तर्गत समस्त ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु लागू होगी, जिस पर सीधी भरती की जाती है।

५. मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भरती—यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी परिषदीय सेवक का सेवाकाल में ऐसे एक सदस्य की मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम या राज्य विद्युत परिषद के अधीन पहले से सेवायोजित न हों, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर, भरती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, परिषदीय सेवा में सेवायोजन प्रदान किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद के लिए निहित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से परिषदीय सेवा के लिए अर्ह हो।

१०. परिषद इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को [जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एकमात्र निर्णायक होगी] दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जिसे वह उचित व्यवहार या लोकहित आवश्यक समीचीन समझे।

Appointment of dependents of deceased employees of the Board-Proforma of application finalised

No. 7462-GE-II-SEB-78/3 17) GE-II/76 Dated October 24, 1978

Of late it has been observed that no uniform policy in regard to the employement of the dependents of the deceased employees

of the Board in terms of Board's notification No. 212/GM/SEB-III-15GM/74, dated June 30, 1976 as modified vide Board's notification No. 1235-GE-II/III-3 (17) GE-II/1976 dated April 16, 1978 is being followed so far as the mode of application and the verification of relationship between the applicants and the deceased employees are concerned. The Board are accordingly pleased to order that, henceforth the applications for employment from the dependents of the deceased employees of the Board will be entertained only in the proforma annexed provided it is preferred within six months from the date of the death of the employee.

The Board are also pleased to order that the ban imposed on the new recruitments aginst existing/new vacancies in class III and IV services of the Board vide B.O. No. 4840-NG-I/SEB-78-213A/65, dated September 19, 1978 will not be applicable in case of employment of the dependents of the deceased employees of the Board in terms of the notification referred in para I above.

As per Regulations only one out of the following dependents of the family of the deceased employee will be entitled for employment under the provisions of the above Regulations :—

(I) Wife/Husband

(ii) Son

(iii) Unmarried daughter

(iv) Widow daughter wholly dependent upon the deceased.

ANNEXURE*

PART I : TO BE FILLED IN BY THE APPLICANT

1. Name of the applicant : (in block letters)
2. Post applied for :
3. Name of the deceased employee, post held by him at the time of death and the date of death :

ATTESTED COPY OF PHOTOGRAPH OF THE APPLICANT

4. Relationship of the applican with the deceased :
5. List of dependents of the deceased employee :

*As modified vide B.O. No. 6398-WC/SEB (AS-XIX) 82 Misc. 82(T), dated December 11, 1982.

C-51

Uttarakhand Power Corporation Ltd
(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Bhawan,
Kanwali Road
Dehra Dun-248001
Tel: 0135-2767501 FAX : 0135-2769771

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपकम)
विक्टोरिया कास विजेता गबर सिंह भवन,
कॉवली रोड
देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2767501 फैक्स: 0135–2769771

पत्रांक – –निदे0(मा0सं0)/उपाकॉलि/ दिनांक: 10/06/16

विषय :– मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत अनुकम्पा–नियुक्ति सम्बन्धित प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रलेखों के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर–1/2)
उ0पा0कॉ0लि0,
....
....

कृपया अवगत कराना है कि उ0पा0कॉ0लि0 में स्थायी रूप से सेवारत कार्मिकों के कॉरपोरेशन–सेवा में रहते हुए दिवंगत हो जाने पर उनके आश्रितों को विभाग में अनुकम्पा–नियुक्ति प्रदान करने सम्बन्धी प्राप्त होने वाले प्रकरणों के साथ सम्बन्धित इकाइयों द्वारा पूर्ण सूचनाएं/प्रलेख संलग्न नहीं किये जाते हैं जिसके कारण वांछित सूचना/प्रलेख प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित इकाइयों से किये जाने वाले पत्राचार से प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः प्रकरण के साथ संलग्न किये गये तत्सम्बन्धी प्रलेखों/सूचनाओं की सम्यक् रूप से जांच करने हेतु जांच–प्रपत्र की प्रति संलग्न करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप प्रपत्र में इंगित बिन्दुवार सूचनाओं एवं प्रलेखों सहित ही प्रश्नगत प्रकरण अनुमोदनार्थ सक्षम स्तर को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में अधीनस्थ इकाइयों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब न होने पाये एवं प्रकरणों पर सक्षम स्तर से ससमय अनुमोदन प्रदान किया जा सके :–

1– संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर आवेदक/आवेदिका की ओर से प्रस्तुत किये जाने वाला आवेदन–पत्र पूर्ण स्पष्ट सूचनाओं व प्रलेखों तथा सत्यापित छायाचित्र सहित।
2– आवेदन पत्र के भाग–3 पर नियंत्रक अधिकारी की ओर से कार्मिक का बिन्दुवार वांछित सेवा विवरण।
3– मृतक कार्मिक का मृत्यु प्रमाण–पत्र।
4– सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत उत्तरजीवी प्रमाण–पत्र तथा परिवार रजिस्टर की प्रति।
5– मृतक की पत्नी के आवेदक होने की स्थिति में आवेदिका की ओर से उनके स्व0 पति की वे ही एकमात्र विवाहिता विधवा पत्नी होने तथा इसके अतिरिक्त उनके पति की अन्य कोई जीवित विवाहित पत्नी नहीं होने के आशय का शपथ–पत्र, जो नोटरी द्वारा सत्यापित हो।
5अ– विवाहित पुत्र आवेदक होने की स्थिति में आवेदक की ओर से उनकी एक मात्र विवाहिता पत्नी होने एवं इसके अतिरिक्त उनकी अन्य कोई पत्नी नहीं होने के आशय का शपथ–पत्र, जो नोटरी द्वारा सत्यापित हो।
6– सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत आवेदक/आवेदिका का 'पूर्ववृत चरित्र सत्यापन' प्रमाण–पत्र।
6अ– किसी संभ्रान्त नागरिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त आवेदक/आवेदिका का चरित्र प्रमाण–पत्र।
6ब– आवेदक/आवेदिका के अन्तिम विद्यालय द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।
7– आवेदक/आवेदिका द्वारा आवेदित पद विषयक समस्त शैक्षिक एवं तकनीकी/व्यवसायिक प्रलेखों की सत्यापित प्रतिया)।
8– आवेदक/आवेदिका का मूल निवास प्रमाण–पत्र एवं वर्तमान स्थायी निवास प्रमाण–पत्र।
9– आवेदक/आवेदिका के मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के सम्बन्ध में सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आवेदक/आवेदिका का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र।
10– सम्बन्धित इकाई के अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता की ओर से आवेदक/आवेदिका को आवेदित पद विषयक सक्षम एवं उपयुक्त पाये जाने पर उनकी आवेदित पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुति।
11– 'पूर्ववर्ती उ0प्र0रा0वि0प0 सेवाकाल में मृतक परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1975' के नियम–8(2) के अन्तर्गत आवेदित पद पर कार्य एवं दक्षता तथा पद के न्यूनतम स्तर को बनाये रखने का प्रमाण–पत्र।
11अ– सम्बन्धित इकाई, जहां मृतक कार्मिक अपनी मृत्यु से पूर्व कार्यरत था, में आवेदक/आवेदिका द्वारा आवेदित पद की रिक्ति का विवरण।

———2/

C-57

12– आवेदक/आवेदिका (यथा स्थिति के अनुसार) की ओर से (1) स्वयं के विवाहित होने अथवा न होने (2) किसी राजनीतिक दल का सदस्य होने अथवा न होने (3) किसी चल/अचल सम्पत्ति का स्वामी होने अथवा न होने (4) किसी बैंक/वित्तीय संस्था का ऋणी होने अथवा न होने (5) केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन सेवायोजित न होने अथवा न होने (6) कॉरपोरेशन में सेवायोजित होने पर कॉरपोरेशन के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं विश्वसीनयता पूर्वक सेवा करने (7) अपने स्व0 पिता/पति द्वारा मृत्यु से पूर्व किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से ऋण लिये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण ऋण का भुगतान स्वयं के द्वारा किये जाने सम्बन्धी उत्तरदायित्व लेने (3) अनुकम्पा–नियुक्ति प्राप्त होने पर अपने स्व0पिता/पति के आश्रितों के प्रति होने वाले समस्त उत्तरदायित्व यथा– भरण–पोषण, उचित देखमाल, शिक्षा, विवाह आदि का उत्तरदायित्व पूर्ण करने के आशय का बिन्दुवार शपथ–पत्र (नोटरी द्वारा सत्यापित)।

13– अनुकम्पा–नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले आवेदक/आवेदिका को विभाग द्वारा अनुकम्पा–नियुक्ति प्रदान किये जाने पर मृतक के परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति न होने अपितु इसमें उनकी पूर्ण सहमति होने के आशय का समस्त पारिवारिक सदस्यों, जिनका नाम उत्तरजीवी प्रमाण–पत्र व परिवार रजिस्टर में दर्ज है, की ओर से नोटरी द्वारा सत्यापित संयुक्त शपथ–पत्र।

संलग्नक : <u>यथोपरि।</u>

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक(मा0सं0)

पत्रांक– 5072 –निदे0(मा0सं0)/उपाकॉलि/तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सीनियर एक्जेक्यूटिस सेकेटरी–प्रबन्ध निदेशक, उ0पा0कॉ0लि0 को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2– निजी सचिव, निदेशक(परियोजना/परिचालन/वित्त/मा0सं0), उपाकॉलि, वि0कॉ0वि0गबर सिंह भवन, देहरादून।
3– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकॉलि..।
4– समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकॉलि, ...।
5– अधिशासी अभियन्ता(सू0प्रो0), उपाकॉलि, वि0कॉ0वि0 गबर सिंह भवन, देहरादून को उपाकॉलि की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

9/4/16
(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक(मा0सं0)

c-53

Uttaranchal Power Corporation Ltd.
(A Govt. of Uttaranchal Undertaking)
Urja Bhawan, Kanwali,
Dehradun - 248001
Phone : 91-135-2763672-75 FAX: 91-135-2769771

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तरांचल सरकार का उपक्रम)
उर्जा भवन, कांवली
देहरादून – 248001
दूरभाष : 2763672–75, फैक्स 91–135–2769771

संख्या : 771 –मा0सं0 / उपाकालि / 09का.अनु0 ए / बी–1

दिनांक : 24 मार्च, 2005

कार्यालय ज्ञापन

सेवाकाल में मृत कार्मिकों के आश्रितों के सेवायोजन विषयक तत्कालीन उ0प्र0पा0का0लि0 के ज्ञापांक 3880–औस –17 / पाकालि / 2000–27एफ / 80,दिनांक 22–12–2000 सपठित परिपत्रांक 3241–औस–17 / पाकालि / 2001–27एफ / 86 दि.17–10–2001 के अनुक्रम में, सेवा काल में मृत कार्मिकों के आश्रितों के यथाप्रवृत्त नियमानुसार सेवायोजन के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मृतक आश्रितों की नियुक्ति श्रमिक, तकनीशियन श्रेणी–2 (विद्युत) एंव कार्यालय सहायक–तृतीय के साथ–साथ नियुक्ति सम्बन्धी अन्य संगत अर्हताएं पूर्ण करने वाली मात्र महिला आश्रितों (आवेदक) की नियुक्ति चपरासी पद पर भी विचारित किये जाने हेतु एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगें ।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

निदेशक [मानव संसाधन]

संख्या : 771 –मा0सं0 / उपाकालि / 09का.अनु0 ए / बी–1,तद्दिनांकित,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,उ0पा0का0लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
2– प्रबन्ध निदेशक,पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लिमिटेड,देहरादून ।
3– संयुक्त प्रबन्ध निदेशक / निदेशक(वित्त / मानव संसाधन),उ0पा0का0लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
4– कम्पनी सचिव,उ0पा0का0लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
5– मुख्य महाप्रबन्धक(वाणिज्य) उ0पा0का0लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
6– समस्त महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक / अधिशासी अभियन्ता,उ0पा0का0लि0 / पा0ट्रां0का0आ0उ0लि0 ।
7– समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी / उप निदेशक(आन्तरिक सम्प्रेक्षा) उ0पा0का0लि0, देहरादून / हल्द्वानी ।
10– समस्त अधिकारी एंव अनुभाग, उ0पा0का0लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
11– का0ज्ञा0पंजिका / कट फाइल / मास्टर कट फाइल ।

DHIMAN

(डा0 पी0सी0जोशी)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

परिषदीय अधिसूचना संच–121–जी0एस0/राविप–3–1जी एन/74 दिनांक परिषदीय अधिसूचना संच–123–जीई–2/रावि–31–171 जेई/2/76 दिनांक संशोधित किया गया है के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के ऐसे सेवा काल में मृत्यु हुई हो के आश्रितों को सेवा योजना करने हेतु प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में। भाग एक प्रार्थी द्वारा भरा जाये।

1. प्रार्थी का नाम बड़े अक्षरों में–
2. पद जिसके लिये आवेदन कर रहा है–
3. मृतक कर्मचारी का नाम व पद जिस पर मृत्यु के समय कार्यरत था तथा मृत्यु की दिनांक–
4. इकाई का नाम व पता जहां पर मृतक अपनी मृत्यु के समय कार्यरत था–
5. मृतक से प्रार्थी का सम्बन्ध–
6. मृतक आश्रित की सूची–

क्र0सं0	आश्रितों के नाम	क्र0सं0 प्रार्थी को मिलाकर	आयु	मासिक आय

(क) पत्नी–
(ख) पुत्र–
(ग) अविवाहित (पुत्रियां)–
(घ) विधवा पुत्रियां–
(ज) मृतक पर पूर्णतया आश्रित थी–
(ड) अन्य विवरण–

7. प्रार्थी के विवरणः–
(क) जन्म तिथि प्रमाण पत्र सहित–
(ख) शैक्षिक योग्यता (प्रमाण पत्र सहित)–
(ग) पूर्व अनुभव (प्रमाण पत्र सहित)–
(घ) स्थायी पता/स्थानीय पता–

8. घोषणाः–

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मृतक कर्मचारी श्री के परिवार के किसी भी सदस्य को उक्त कर्मचारी का मृत्यु के दिनांक के पश्चात् परिषद द्वारा उ0प्र0रा0वि0प0 द्वारा सेवाकाल में मृत परिषद सेवकों के आश्रितों को भर्ती नियमावली 1975 के अन्तर्गत सेवा योजना प्राप्त नहीं किया गया है।

आवेदन करने की तिथिः प्रार्थी के हस्ताक्षर

क्रमशः ..2..

टिप्पणीः– परिषद के अनुसार निम्नलिखित को ही मृत कर्मचारी को आश्रित वे ही सेवा योजना पाने के पात्र होंगे/अन्य नहीं

1. पत्नी/पति–
2. पुत्र–
3. अविवाहित या विधवा पुत्री–

भाग–2

किसी परिषद के अधिकारी/तहसीलदार/सम्बन्धित जिले के अधिकारी के द्वारा भरवायें।

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मृतक श्री .... को मैं जानता था तथा आवेदक .... को भी मैं जानता हूँ। इस प्रार्थना पत्र के भाग एक में दिये गये विवरण मेरी जानकारी व विश्वास में पूर्णतः सत्य है।

हस्ताक्षर

नाम बड़े अक्षरों में ....

भाग तीन क्षेत्रीय अधिकारियों/अधिशासी अभियन्ता एवं उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा भरे जाने हेतु मृतक कर्मचारी का विवरण।

1. नाम–
2. परिषदीय सेवा में नियुक्ति की तिथि .... (सेवा काल के आधार पर)
3. सेवा की अवधि तथा प्रकार स्थाई/अस्थाई/कार्य प्रभारित/मस्टर रोल–स्थायी

....

....

....

4. मृत्यु की तिथि–
5. मृत्यु की प्रकृति–प्राकृतिक(आकस्मिक)

हस्ताक्षर ....

नाम..

पद/पता..

कार्यालय/मोहर..

टिप्पणीः– प्रत्येक भाग की प्रविष्टि स्पष्ट/पूर्ण रूप से किया जाना आवश्यक है।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

सं0 3080-औ0-17/पा0का0लि/2000-27एफ/80 दि0 22 दिसम्बर 2000

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती परिषद/पावर कारपोरेशन के सेवाकाल में मृत कर्मचारियों के आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0 645-औ0/पा0का0लि/2000-27एफ/80 दिनांक 29.3.2000 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए कारपोरेशन ने सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत व्यवस्था प्रतिपादित की है :-

(अ) मृतक आश्रितों की नियुक्ति मात्र श्रमिक, टेक्नीशियन ग्रेड-2 (विद्युत) तथा कार्यालय सहायक (तृतीय) के पद पर की जायेगी।

(ब) उक्त नियुक्ति किये जाने के अनुमोदन के अधिकार महाप्रबन्धक को इस प्रतिबन्धाधीन प्रदान किया गया है कि वे अनुमोदित/नियुक्ति की सूचना नियमित रूप से एवं यथाशीघ्र मुख्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे।

(स) पूर्ववर्ती परिषद/पावर कारपोरेशन द्वारा सेवाकाल में मृत सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1975 एवं समय समय पर यथा संशोधित नियम/आदेश यथावत लागू रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

निदेशक मण्डल

सं0 3680-1-औ0-17/पा0का0लि/2000 तद्दिनांक :

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा0 ऊर्जा मंत्री जी, उ0प्र0शासन के निजी सचिव.
2. मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री जी, उ0प्र0 शासन के निजी सचिवगण
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ
4. निदेशक (का. एवं प्र.)/वितरण/कारपोरेट प्लानिंग/पारेषण/वित्त के निजी सचिव.
5. मुख्य अभियन्ता, (जल विद्युत) उ0प्र0पा0का0लि0, 4-विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ
6. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0
7. समस्त महाप्रबन्धक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0
8. समस्त उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0
10. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लिमिटेड
11. कारपोरेशन मुख्यालय एवं लेखा संवर्ग के समस्त अधिकारीगण/अनुभाग, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0
12. श्री जे.पी. शास्त्री, अपर सचिव को बैठक दिनांक 28.11.2000 के आईटम सं0 14(35)/2000 के सम्बन्ध में पारित संकल्प की अनुपालन आख्या के रूप में।

(एल. आर. ज्ञानचन्द)
उप महाप्रबन्धक (कार्मिक)

(7)